# स्वदेशी से भारत बनेगा आत्मनिर्भर : शुक्ल

## प्रजापति समाज के 110 परिवारों को दिए विद्युत चलित शैला चाक

**भोपाल, 18 अक्टूबर. उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि स्वदेशी वस्तुओं के निर्माण व उपयोग से ही आत्मनिर्भर भारत का संकल्प पूरा हो सकेगा. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत व स्वदेशी उत्पादों के उपयोग में देश आगे बढ़ रहा है.**

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल उद्यम योजनान्तर्गत रीवा में आयोजित कार्यक्रम में प्रजापति समाज के 110 परिवारों को विद्युत चलित शैला चाक का वितरण किया. उन्होंने कहा कि प्रजापति समाज के परिवार विद्युत शैला चाक से अपनी परंपरागत कला एवं उत्पादों का निर्माण कर स्वरोजगार स्थापित कर सकेंगे.

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है. प्रजापति परिवार भी विद्युत चलित शैला चाक द्वारा उत्पादों का निर्माण कर अपनी परंपरागत पहचान को बनाए रखने में सक्षम होंगे. उप मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्वयं चाक भी चलाया तथा माटी का दीपक बनाया.

# पटाखों के प्रदूषण से हो सकती है खुजली, जलन

**भोपाल, 18 अक्टूबर. दीपावली का पर्व रोशनी, उल्लास और खुशियों का प्रतीक है, लेकिन इसके साथ ही कई बार त्वचा संबंधी समस्याएँ भी बढ़ जाती हैं.**

पटाखों के धुएँ, प्रदूषण और मेकअप के अत्यधिक उपयोग के कारण त्वचा पर दाने, खुजली या जलन जैसी दिक्कतें हो सकती हैं.

नागरिकों को सुरक्षित और स्वस्थ तरीके से त्योहार मनाने में मदद के उद्देश्य से एम्स भोपाल के त्वचा रोग विभाग ने दीपावली के अवसर पर त्वचा की देखभाल के लिए एक विशेष परामर्श जारी किया है.

### स्किन केयर टिप्स-

इन उपायों से त्योहार के दौरान अपनी त्वचा को स्वस्थ और दमकता हुआ बनाए रखें
- पटाखों और धुएं से सुरक्षा
- धुएँ और पटाखों के अवशेषों से सीधे संपर्क से बचें, यह एलर्जी या जलन का कारण बन सकता है.
- बाहर के उत्सवों के बाद चेहरे और खुली त्वचा को माइल्ड क्लींजर से धोएं.
- बाहर जाने से पहले हल्का मॉइस्चराइजर लगाएं, यह एक सुरक्षात्मक परत की तरह कार्य करता है.

# मंत्री विजयवर्गीय बने दुकानदार, की नापतौल

**इंदौर 18 अक्टूबर. धनतेरस पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अपने अलग ही रूप में नजर आए. वे नंदानगर स्थित अपनी पुश्तैनी किराने के दुकान पर बैठे.**

इस दौरान उन्होंने ग्राहकों को अपने हाथों से सामान भी तौलकर दिया. साथ ही ग्राहकों से उनके हालचाल जाने और दीपोत्सव की शुभकामनाएं भी दी. दरअसल कैलाश विजयवर्गीय धनतेरस के दिन अपनी पुश्तैनी दुकान पर बैठते है और खुद ही लोगों को सामान तौलकर देते है. मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि एक समय में पूरे घर-परिवार का आर्थिक बोझ यही दुकान उठाती है. इसलिए हम इसके ऋणी है. काम में व्यस्त होने के बावजूद इस परंपरा को नहीं तोड़ते. धनतेरस के दिन यहां बैठकर ग्राहकों करते है. उन्होंने 65 वर्ष पुरानी दुकान से जुड़े कई किस्से भी सुनाए, इस दुकान पर कभी उनके पिताजी और परिवार के अन्य सदस्य बैठते थे.

## एक नजर में

### पार्किंग स्टेशन के नीचे लगी भीषण आग

**इंदौर.** इंदौर के संजय सेतु पर बने टू व्हीलर पार्किंग स्टेशन के नीचे शनिवार को आग लग गई। आग की लपटें ऊपर तक उठती रहीं। फायर ब्रिगेड ने ढाई हजार लीटर पानी डालकर आग पर काबू पा लिया है. आग लगने के कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है। आग लगने के कारण इलाके में अफरा-तफरी मची रही। आग लगने की घटना की जानकारी 3.45 पर फायर ब्रिगेड को मिली थी। जिसके बाद एक गाड़ी रवाना की थी। पार्किंग स्टेशन के नीचे कचरे और झोपड़ी नुमा जैसा बना हुआ था जिसमें आग लगी थी। लपटें ऊपर तक नजर आ रहीं थी। आग पर काबू पानो के बाद 5 बजे के आसपास गाड़ी वापस आ गई थी।

### दवाइयां बनाने की प्रक्रिया विद्यार्थियों ने देखी

**भोपाल.** स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ फार्मास्युटिकल साइंसेज़ के 28 विद्यार्थियों द्वारा कल्पराज टेक्नो फैब प्राइवेट लिमिटेड में औद्योगिक भ्रमण किया गया. इस भ्रमण का उद्देश्य विद्यार्थियों को औद्योगिक कार्यप्रणाली से जोड़ना और उन्हें कक्षा में सीखे गए सिद्धांतों का वास्तविक अनुभव प्रदान करना था. भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने कंपनी में निर्मित विभिन्न औषधियों जैसे विटाकल-सी, कैलफोल-5, कैलिफ्लू-150, और पैंटो-काल डीएसआर के निर्माण की प्रक्रिया को सामने से देखा और समझा 7 इसके साथ ही उन्होंने टैबलेट पंचिंग मशीन, कैप्सूल फिलिंग मशीन, वेटिंग बैलेंस, मिक्सर और ग्रेनुलेटर तथा पैकेजिंग मशीन जैसी आधुनिक औद्योगिक उपकरणों का अवलोकन किया.

# 2 दोस्तों पर चाकू से हमला

## एक की मौत, लेनदेन को लेकर हुआ विवाद

**बैरसिया, 18 अक्टूबर. बैरसिया इलाके में पैसों के लेनदेन को लेकर हुए विवाद में एक ही परिवार के तीन लोगों ने मिलकर दो दोस्तों पर चाकू से हमला कर दिया. हमले में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसके साथी की हालत गंभीर होना बताई जा रही है.**

पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है. पुलिस के मुताबिक ग्राम कड़ैया में रहने वाला संजय मीणा खेती किसानी करता था.शनिवार की सुबह वह अपने दोस्त हेमराज गुर्जर के साथ बैठा हुआ था. इसी बीच उसका पैसों को लेनदेन को लेकर राम सिंह, प्रीतम सिंह और रतन सिंह से विवाद हो गया. मामूली कहासुनी मारपीट में बदल गई और आरोपियों ने उस पर ताबड़तोड़ चाकू से हमले शुरू कर दिए. इसी बीच उसका दोस्त संजय मीणा उसे बचाने की कोशिश करने लगा तो आरोपियों ने उस पर भी चाकू से हमला कर दिया और फरार हो गए. हमले में संजय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल हेमराज को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है. जहां पर उसकी हालत भी नाजुक बनी हुई है. पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है. हालांकि इस मामले में परिजनों ने पुलिस पर मामले को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाया है. उन्होंने जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है.

# 2 करोड़ के नोटों से सजा महालक्ष्मी मंदिर

**रतलाम 18 अक्टूबर. दिवाली के पहले मां महालक्ष्मी का मंदिर सज चुका है। सजावट फूलों से नहीं, हीरे, जवाहरात और नोटों से हुई है। मंदिर की हर लड़ में नोट लगे हैं।**

किसी में 10 तो किसी में 500 रुपए नजर आ रहे हैं। इस अद्भुत सज्जा के लिए भक्तों ने अपनी तिजोरी खोल दी है। मंदिर में अर्पित नकदी-आभूषण को दीपोत्सव के पांच दिन के बाद समिति प्रसादी के रूप में भक्तों को लौटाएगी। मंदिर की सजाने की सालों पुरानी परंपरा के तहत इस साल 2 करोड़ रुपए से मंदिर को सजाया गया है। आज तक यहां से एक रुपया इधर से उधर नहीं हुआ है। धन राशि देने वालों में रतलाम के अलावा प्रदेश समेत अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में भक्त आते हैं. दीपोत्सव के पहले दिन यानी आज धनतेरस से मंदिर की सजावट को भक्त निहार सकते हैं. संभवतः यह देश का पहला ऐसा मंदिर है, जो पांच दिनों तक भक्तों द्वारा अर्पित आभूषण और नोटों से सजा रहता है


## कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी, बेगमगंज, जिला रायसेन

क्रमांक/804/रीडर-1 बेगमगंज, दिनांक 23/7/2025

### उद्घोषणा

**(धारा-6 भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत)**

एतद् द्वारा सर्व संबंधित एवं ग्रामवासियों ग्राम झिरपानी-1, प.ह.नं. 34, ग्राम पंचायत मरखण्डी, तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के अनुसार मध्यप्रदेश शासन ने आरक्षित वन घोषित करने का विनिश्चय किया है. तदाशय की अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 28/8/1970 को प्रकाशित की जा चुकी है, जिसमें वन की स्थिति एवं सीमाएं विनिर्दिष्ट की गई हैं. यह भूमि आरक्षित हो जाने पर किसी भी प्रकार का दखल, प्रवेश, उपयोग, मार्ग एवं चराई अधिकार, वनोपज संबंधी अधिकार, उत्खनन संबंधी अधिकार, कृषि आदि जीविकोपार्जन अधिकार बंद एवं प्रतिबंधित हो जावेगा. उल्लंघन होने पर भारतीय वन अधिनियम 1927, वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं अन्य सुसंगत वन विधियों व विधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जा सकेगी. अतः एतद् द्वारा अपेक्षा की जाती है कि इस उद्घोषणा के प्रकाशन दिनांक से तीन माह के अंदर कोई भी या समस्त हितग्राही व्यक्ति, पक्षकार आदि उपरोक्त कार्यालय में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी बेगमगंज, जिला रायसेन के समक्ष उपस्थित होकर अपने अधिकार, दावाकृत प्रतिकार, स्वत्व आदि बावत् प्रमाणों, दस्तावेजों सहित लिखित सूचना, आपत्ति आदि प्रस्तुत करें तथा प्रमाणित करें. उक्त अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा.

**उद्घोषणा आज दिनांक 23/7/2025 को मेरे हस्ताक्षर से जारी.**

अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) बेगमगंज, जिला रायसेन (म.प्र.)

G20387/25


# यात्रा के दौरान पटाखे ले जाना प्रतिबंधित

## 1000 जुर्माना और 3 वर्ष तक की कैद

**भोपाल, 18 अक्टूबर. दीपावली के मद्देनजर, पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं।**

मंडल ने रेल यात्रियों से यात्रा के दौरान पटाखे, विस्फोटक या ज्वलनशील वस्तुएं साथ न ले जाने की अपील की है, क्योंकि इनसे जान-माल का भारी नुकसान हो सकता है. रेल प्रशासन ने पंकज त्यागी के मार्गदर्शन में प्रमुख स्टेशनों और ट्रेनों में चेतावनी संबंधी स्टीकर लगाए हैं तथा निगरानी और जांच व्यवस्था को कड़ा किया गया है।

रेल यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ (पेट्रोल, गैस सिलेंडर, केरोसिन, माचिस आदि) साथ ले जाना भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 67, 164 और 165 के तहत दंडनीय अपराध है। नियमों का उल्लंघन करने पर ?1000 तक का जुर्माना और तीन वर्ष तक की कैद अथवा दोनों का प्रावधान है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने यात्रियों से अपील की है कि वे स्वयं और सह-यात्रियों की सुरक्षा के लिए नियमों का कड़ाई से पालन करें, क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है.

# दीपोत्सव के लिए रंगोली की जमकर खरीदारी

**घरों के आंगन को सजाने के लिए रंगोली बनी पहली पसंद**

जूनियर रिपोर्टर

**भोपाल, 18 अक्टूबर. धनतेरस के अवसर पर शहर के बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिली. दुकानों पर इस कदर भीड़ रही कि कई जगह तो पैर रखने की भी जगह नहीं थी.**

दीपावली से पहले अपने घरों के आंगन को सजाने के लिए लोग बड़ी संख्या में रेत से बने रंगोली के रंग और सांचा (मोल्ड) खरीदते नजर आए. उन्होंने बताया कि रंगोली बनाने के सांचे भी खूब बिक रहे हैं. मेरे सारे सांचे बिक चुके हैं, जिनकी कीमत 20, 50 और 100 रुपये तक रही. साथ ही लोग रंग भरने के लिए पाइपिंग भी ले जा रहे हैं. वहीं, दुकानदार पियूष ने बताया कि इस बार स्टिकर रंगोली की बिक्री कुछ कम है. स्टीकर वाली रंगोली की कीमत 100 रुपये से शुरू होती है.

न्यू मार्किट में रंगोली के रंग और सांचे बेचने वाले दुकानदार राजू ने बताया कि वे हर साल इसी तरह रंगों का ठेला लगाते हैं, पर इस बार की भीड़ देखने लायक है. उन्होंने कहा, इस बार रंगों की बिक्री सुबह से ही बहुत अच्छी हो रही है.


## कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी, बेगमगंज, जिला रायसेन

क्रमांक/815/रीडर-1 बेगमगंज, दिनांक 23/7/2025

### उद्घोषणा

**(धारा-6 भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत)**

एतद् द्वारा सर्व संबंधित एवं ग्रामवासियों ग्राम केरपानी, प.ह.नं. 51, ग्राम पंचायत खमरिया ता. नई गडिया, तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के अनुसार मध्यप्रदेश शासन ने आरक्षित वन घोषित करने का विनिश्चय किया है. तदाशय की अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 28/8/1970 को प्रकाशित की जा चुकी है, जिसमें वन की स्थिति एवं सीमाएं विनिर्दिष्ट की गई हैं. यह भूमि आरक्षित हो जाने पर किसी भी प्रकार का दखल, प्रवेश, उपयोग, मार्ग एवं चराई अधिकार, वनोपज संबंधी अधिकार, उत्खनन संबंधी अधिकार, कृषि आदि जीविकोपार्जन अधिकार बंद एवं प्रतिबंधित हो जावेगा. उल्लंघन होने पर भारतीय वन अधिनियम 1927, वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं अन्य सुसंगत वन विधियों व विधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जा सकेगी. अतः एतद् द्वारा अपेक्षा की जाती है कि इस उद्घोषणा के प्रकाशन दिनांक से तीन माह के अंदर कोई भी या समस्त हितग्राही व्यक्ति, पक्षकार आदि उपरोक्त कार्यालय में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी बेगमगंज, जिला रायसेन के समक्ष उपस्थित होकर अपने अधिकार, दावाकृत प्रतिकार, स्वत्व आदि बावत् प्रमाणों, दस्तावेजों सहित लिखित सूचना, आपत्ति आदि प्रस्तुत करें तथा प्रमाणित करें. उक्त अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा.

**उद्घोषणा आज दिनांक 23/7/2025 को मेरे हस्ताक्षर से जारी.**

अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) बेगमगंज, जिला रायसेन (म.प्र.)

G20391/25


# राजधानी में छाए रहे बादल

**भोपाल. प्रदेश से मानसून की विदाई हो चुकी है. लेकिन अभी भी पिछले दो दिनों से आसमान पर बादल छाए हुए है. शनिवार को राजधानी में दिनभर बादल छाए रहे.**

तापमान में 1.8 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई. पूरे दिन धूप नहीं खिली. इसी के साथ इंदौर, बैतूल, शाजापुर और खंडवा में बारिश हुई. शुक्रवार-शनिवार की रात में ज्यादातर शहरों में पारा 19 डिग्री से अधिक रहा. छतरपुर का नौगांव ही ऐसा शहर है, जहां पारा 16 डिग्री रहा. दूसरी ओर, दिन के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है. उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, खजुराहो में पारा 33 से 34 डिग्री के बीच चल रहा है. मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिणी जिलों में बूंदाबांदी होने के आसार हैं. वहीं, रविवार और सोमवार को मौसम साफ रहेगा. कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है. मौसम विभाग के अनुसार, नवंबर से कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो जाता है, जो जनवरी तक रहता है. इस बार फरवरी तक ठंड का असर रहने की संभावना है. वहीं अक्टूबर के मौसम में अल सुबह और देर रात में ठंड का अहसास शुरू हो गया है. आने वाले सर्दियों के मौसम में 2010 के बाद सबसे भीषण ठंड का अहसास हो सकता है. सर्दियों के दौरान इस बार सामान्य से ज्यादा बारिश देखने को मिल सकती है, उत्तर-पश्चिम भारत के इलाकों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ अधिक संख्या में प्रभावित करेंगे.


**सुनावणी नोटीस - वर्तमानपत्रात प्रसिध्दी नोटीस**

क्रमांक/भु.३/अपील/अपील क्र. ४३७-२४/२०२५-२६
७३९२ दिनांक १७ सप्टेंबर, २०२५

१. श्री. राजेंद्रप्रसाद बालमुकुंद शाहु रा. एम्प्रेस मिल, क्वार्टर्स नं. २, चाळ नं.१५, संत्रा मार्केट, नागपूर ४४००१८ २. श्रीमती सरोज हिरालाल शाहु रा. चित्रा चौक, चित्रा टॉकीजजवळ, पुलगांव,मु.पो. पुलगांव, तह. देवळी, जि. वर्धा, ३. श्रीमती रंजना मदनलाल शाहु रा. रामसागर पारा, कबील कलेकशन के सामने, रायपुर (छत्तीसगढ) ४. श्रीमती शोभा अशोक शाहु रा. बासपाई पारा, राजनांदगांव (छत्तीसगढ) मु.पो.तह.जि. राजनांदगांव (छत्तीसगढ),

**-विरूध्द-** १. नगर भूमापन अधिकारी क्रमांक १ नागपूर २. श्री कमलकिशोर किसनलाल शाहु, रा. चित्रा टॉकीज जवळ, स्टेट बँक समोर, होशंगाबाद, तह. जि. नर्मदापुरम (मध्य प्रदेश)

**विषय :- मौजा नागपूर ता. जि. नागपूर येथील शीट नं. २३६, नगर भूमापन क्र. ३७२ या मिळकतीबाबत अपील अर्ज.**

**संदर्भ :-१/- अपीलदार यांचा दिनांक २४/०५/२०२४ रोजीचा अपील अर्ज. २/- अपीलदार यांचा दिनांक ०३/१०/२०२५ रोजीचा अपील अर्ज.**

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयांकीत बाबत अपीलदार यांनी इकडील कार्यालयात अपिल अर्ज दाखल केले आहे. सदर अपील प्रकरणीं **इकडील कार्यालयात दिनांक २८/१०/२०२५ रोजी ठिक ४.१० वाजता सुनावणी ठेवण्यात आलेली आहे.** अपिलार्थी व प्रतिवादी/जाबदार यांनी वर नमुद केलेल्या तारखेस वेळेवर निश्चीत ते स्वतः/अधिवक्ता/अधिकृत प्रतिनिधी अथवा त्यांचे वारस यांनी **जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख नागपूर यांचे कार्यालय, तळमजला, खनिकर्म भवन, जिल्हाधिकारी परीसर, सिव्हील लाईन, नागपूर** येथे ओळखपत्रासह हजर राहावे. तसेच इतर आवश्यक कागदपत्रे सोबत आणावे व प्रकरणीं आपले म्हणने दाखल करावे.

उपरोक्त नियोजित तारीख व वेळेवर गैरहजर राहील्यास महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम १९६६ चे कलम २३२ (२) चे अंतर्गत संबंधित पक्षकाराचे अनुपस्थीतीत सुनावणी घेण्यात येईल. निकाल दिला जाईल.

सिल

(अभय अ. जोशी)
जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, नागपूर

नोट :- अपील प्रकरणातील सुनावणी तारखेस प्रशासकीय कारणास्तव बदल होवु शकतो कृपया नोंद घ्यावी. संपर्क :- ०७१२-२५६२९४८

Vision4media 9767867322



**सुनावणी नोटीस - वर्तमानपत्रात प्रसिध्दी नोटीस**

क्रमांक/भु.३/अपील/अपील क्र. ४३७-२४/२०२५-२६
७३९० दिनांक १७ सप्टेंबर, २०२५

१. श्री. राजेंद्रप्रसाद बालमुकुंद शाहु रा. एम्प्रेस मिल, क्वार्टर्स नं. २, चाळ नं.१५, संत्रा मार्केट, नागपूर ४४००१८ २. श्रीमती सरोज हिरालाल शाहु रा. चित्रा चौक, चित्रा टॉकीजजवळ, पुलगांव,मु.पो. पुलगांव, तह. देवळी, जि. वर्धा, ३. श्रीमती रंजना मदनलाल शाहु रा. रामसागर पारा, कबील कलेकशन के सामने, रायपुर (छत्तीसगढ) ४. श्रीमती शोभा अशोक शाहु रा. बासपाई पारा, राजनांदगांव (छत्तीसगढ) मु.पो.तह.जि. राजनांदगांव (छत्तीसगढ),

**-विरूध्द-** १. नगर भूमापन अधिकारी क्रमांक १ नागपूर २. श्रीमती सुचिता सुधीर शाहु, रा. घर नं. १९, बहवारी रोड, सागर, तह. जि. सागर (मध्य प्रदेश)

**विषय :- मौजा नागपूर ता. जि. नागपूर येथील शीट नं. २३६, नगर भूमापन क्र. ३७२ या मिळकतीबाबत अपील अर्ज.**

**संदर्भ :-१/- अपीलदार यांचा दिनांक २४/०५/२०२४ रोजीचा अपील अर्ज. २/- अपीलदार यांचा दिनांक ०३/१०/२०२५ रोजीचा अपील अर्ज.**

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयांकीत बाबत अपीलदार यांनी इकडील कार्यालयात अपिल अर्ज दाखल केले आहे. सदर अपील प्रकरणीं **इकडील कार्यालयात दिनांक २८/१०/२०२५ रोजी ठिक ४.१० वाजता सुनावणी ठेवण्यात आलेली आहे.** अपिलार्थी व प्रतिवादी/जाबदार यांनी वर नमुद केलेल्या तारखेस वेळेवर निश्चीत ते स्वतः/अधिवक्ता/अधिकृत प्रतिनिधी अथवा त्यांचे वारस यांनी **जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख नागपूर यांचे कार्यालय, तळमजला, खनिकर्म भवन, जिल्हाधिकारी परीसर, सिव्हील लाईन, नागपूर** येथे ओळखपत्रासह हजर राहावे. तसेच इतर आवश्यक कागदपत्रे सोबत आणावे व प्रकरणीं आपले म्हणने दाखल करावे.

उपरोक्त नियोजित तारीख व वेळेवर गैरहजर राहील्यास महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम १९६६ चे कलम २३२ (२) चे अंतर्गत संबंधित पक्षकाराचे अनुपस्थीतीत सुनावणी घेण्यात येईल. निकाल दिला जाईल.

सिल

(अभय अ. जोशी)
जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, नागपूर

नोट :- अपील प्रकरणातील सुनावणी तारखेस प्रशासकीय कारणास्तव बदल होवु शकतो कृपया नोंद घ्यावी. संपर्क :- ०७१२-२५६२९४८

Vision4media 9767867322



संस्कृति मंत्रालय MINISTRY OF CULTURE
सत्यमेव जयते

## सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र

(संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन)
15-ए, सेक्टर-7, द्वारका, नई दिल्ली – 110075

**विज्ञापन संख्या: सीसीआरटी/11011/05/2025/02**

सीसीआरटी पात्र उम्मीदवारों से निम्नलिखित पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है:

| क्रम संख्या | पद का नाम | पद की संख्या | वेतन स्तर | भर्ती का तरीका |
|---|---|---|---|---|
| 1. | हिंदी अधिकारी | 01 (एक) | वेतन स्तर – 10 (रु. 56,100-1,77,500) 7वें सीपीसी के अनुसार | प्रतिनियुक्ति |
| 2. | परामर्शक (प्रशासन/सतर्कता) | 01 (एक) | मौजूदा नियमों के अनुसार | अनुबंध पर (आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से) |

उपर्युक्त पदों के लिए विस्तृत विज्ञापन और निर्धारित आवेदन प्रारूप, नियम और शर्तें सीसीआरटी वेबसाइट https://ccrtindia.gov.in पर उपलब्ध हैं और इच्छुक/योग्य उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र को सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ **निदेशक, सीसीआरटी, 15-ए, सेक्टर -7, द्वारका, नई दिल्ली-110075** को भेज सकते हैं और उसकी स्कैन की गई प्रतियां अग्रिम प्रति के रूप में ईमेल: dir.ccrt@nic.in पर भेजी जा सकती हैं। ***प्रतिनियुक्ति पद के लिए: आवेदन पत्र अपने मुख्य नियोक्ता के माध्यम से पिछले 05 वर्षों के एपीआर(APAR), सतर्कता अनापत्ति प्रमाण पत्र, सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र और कैडर नियंत्रण प्राधिकारी प्रमाणपत्र के साथ भेजा जाना चाहिए।***

**विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र की प्राप्ति की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 45 (पैंतालीस) दिन है। अंतिम तिथि की गणना के लिए रोजगार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन के सप्ताह की अंतिम तिथि लागू होगी।**

सीसीआरटी विज्ञापन को रद्द करने और/या किसी भी स्तर पर भर्ती प्रक्रिया को आगे न बढ़ाने, तथा बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी आवेदनों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

कोई भी अनुशेष/शुद्धिपत्र केवल सीसीआरटी की वेबसाइट पर ही पोस्ट किया जाएगा।

निदेशक
सीसीआरटी, नई दिल्ली

cbc09127/12/0006/2526


# काशी हिंदू विवि ने शर्मा का किया सम्मान

**भोपाल.** काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान ज्योतिष विभाग एवं नारदा ज्योतिष धाम संस्थान द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु सम्मेलन में भोपाल के पंडित जगदीश शर्मा ज्योतिषाचार्य को वैदिक ज्योतिष वास्तु शोध पत्र के लिए सम्मानित किया गया. काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संकाय, प्रमुख राजाराम शुक्ल ज्योतिष विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर शत्रुघ्न त्रिपाठी, विनय कुमार पांडे कार्यक्रम के कार्यकारी अध्यक्ष दिनेश गुरुजी केंद्रीय संस्कृत संस्थान भोपाल ज्योतिष विभाग एचओडी भारत भूषण मिश्रा के द्वारा स्मृति चिन्ह एवं सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया.

## कब्जे की सूचना - (अचल संपत्ति के लिए) नियम 8-(1)

चूंकि, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से विख्यात) (IIFL-HFL) के प्राधिकृत अधिकारी हैं और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) के साथ नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकताओं को राशि चुकाने के लिए एक माँग नोटिस जारी किया गया था, अतः उधारकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को एतद्द्वारा संपत्ति से संबंधित लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन IIFL HFL द्वारा यहां उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज सहित प्रभारित किया जाएगा। उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, यदि उधारकर्ता बिक्री या हस्तांतरण के लिए निर्धारित तिथि से पहले किसी भी समय "IIFL HFL" की बकाया राशि, सभी लागतों, शुल्कों और व्ययों का भुगतान कर देता है, तो सुरक्षित संपत्तियां "IIFL HFL" द्वारा बेची या हस्तांतरित नहीं की जाएंगी और सुरक्षित संपत्तियों के हस्तांतरण या बिक्री के लिए "IIFL HFL" द्वारा कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा।

| उधारकर्ता का नाम /सह-उधारकर्ता | सुरक्षित संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति) | कुल बकाया बकाया राशि (रु.) | मांग सूचना की तिथि | कब्जे की तिथि |
|---|---|---|---|---|
| श्री सुनील पटेल श्री आनंद श्रीमती जलधारा श्रीमती प्रेमरानी पटेल सुनील किराना दुकान (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10356729) | संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा खसरा संख्या 410/6, Ph. N. 65, मौजा सागर खास, वार्ड संख्या 47, भगराज वार्ड, तहसील और जिला सागर, मध्य प्रदेश, भारत, 470001 क्षेत्रफल माप (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: भूमिक्षेत्र, निर्मितक्षेत्र, अतिनिर्मित क्षेत्र, कालीन क्षेत्र, संपत्ति क्षेत्र: 997.00, 1782.00, 241.00, 1618.00 | रू. 571755/- पाँच लाख इकहत्तर हजार सात सौ पचपन मात्र | 17-07-2025 | 16-10-2025 |

अधिक जानकारी के लिए कृपया शाखा कार्यालयः 183, प्रथम तल सोनी भवन, एमपी नगर जोन II भोपाल या कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लॉट संख्या 98, फेज-IV, उद्योग विहार, गुड़गांव, हरियाणा के प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें।

स्थानः भोपाल
दिनांकः 19.10.2025

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी,
आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड के लिए।



## कार्यालय नगर पालिक निगम सिंगरौली, जिला सिंगरौली (म.प्र.)

क्रमांक/6080/ई-टेण्डरिंग/2025-26 सिंगरौली, दिनांक 17/10/2025

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑन लाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाइट http://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

| क्र. | टेण्डर | | कार्य का नाम | कार्य | | निविदा प्रपत्र | | निविदा की |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | क्रमांक | जारी दिनांक | | समयावधि | लागत | मूल्य | EMD | अंतिम तिथि |
| 1 | 457960 | 16/10/2025 | [Selection of Bus Operator for Procurement Operation and Maintenance of 2 Numbers of 12 Meter Electric AC Buses on different Intercity. Routes for SCTSL III rd call] | 120 Months | 30,000,000 | 20,000 | 3,00,000 | 17-11-2025 |

**नोटः-** निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संसोधन का प्रकाशन ऑनलॉईन http://mptenders.gov.in की वेबसाईट पर ही किया जावेगा. पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा.

**Executive Engineer**
**Municipal Corporation**
**Singrauli**